



2026:AHC:167596

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7873

वर्ष 2026

साजिद उर्फ़ सिजुआ

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. मैंने आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से आपराधिक वाद संख्या 326/2026 पुलिस थाना गोवर्धन, ज़िला मथुरा में उ.प्र. गिरोहबंद और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत अग्रिम ज़मानत पाने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह से बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है; कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। आवेदक की ओर से यह भी कहा गया है कि गिरोह चार्ट में आवेदक के खिलाफ़ एक मामला दिखाया गया है और सभी मामलों में आवेदक ज़मानत पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



शपथपत्र के प्रस्तर 9 में आवेदक के पाँच मामलों के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया गया है।

4. उन्होंने आगे कहा कि जिस प्राथमिकी की बात हो रही है, उसमें आवेदक पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और इसी तरह के अन्य फ़ायदे (जैसे सांसारिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ) उठाने के आरोप अस्पष्ट हैं। साथ ही, यह भी कहा गया कि अगर किसी आरोपी के किसी काम या चूक के बारे में कोई आरोप नहीं है जो इस अधिनियम की धारा 2 में दी गई "गिरोह" और "गिरोहबंद" की परिभाषा के दायरे में आता हो, तो कोई प्राथमिकी नहीं की जा सकती। इस मामले में, प्राथमिकी लंबित आपराधिक मामलों पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप या ऐसे तथ्य की खोज पर जिसका समाज पर गंभीर असर पड़ा हो, जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था।

5. उन्होंने यह भी कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल बदला लेने, नागरिकों को परेशान या डराने-धमकाने या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब बराबर करने के हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता।

6. उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसा लगता है कि ज़िला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने या सरकार या सत्ताधारी पार्टी के उच्च अधिकारियों से तारीफ़ पाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल किया है, जो कि अनुचित है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं है और अग्रिम ज़मानत पर रहने के दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अग्रिम ज़मानत पर रहने के दौरान आवेदक न तो कोई अपराध करेगा और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेगा।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक जांच और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. विद्वान एजीए ने अग्रिम ज़मानत देने की मांग का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि गिरोह चार्ट में उल्लिखित मामलों में आवेदक ज़मानत पर है। हालाँकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है और अपराध करने का आदी है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की असामाजिक गतिविधियों में शामिल होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाकर और डरा-धमकाकर ज़मानत का दुरुपयोग करेगा।

10. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख देखा है।

11. U.P. गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:-

" 4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायगा, जब तक कि--

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान न हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। "

12. उ.प्र. की धारा 19(4) के आलोक में गिरोहबंद और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत, मैंने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों, गिरोह-चार्ट में बताए गए अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक के आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

13. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम ज़मानत देने के प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, जैसे गवाहों को डराना-धमकाना, की संभावना,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



और न्याय से भागने, जैसे देश छोड़कर भागना आदि, की संभावना पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम ज़मानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना-पत्र देने वाले की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

14. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी हो, या अपराध बहुत गंभीर हो, या गवाहों को प्रभावित करने या आरोपी के भाग जाने की संभावना हो। सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी विधिक रूप से की जा सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति होने और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के उचित कारण के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अगर गिरफ्तारी को आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और आरोपी ने वास्तव में पूरी जांच के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

15. अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, प्रार्थना-पत्र देने वाले की भूमिका और मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए - और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना - यह पाया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने वाले का मामला ऊपर बताए गए फैसलों के दायरे में आता है, इसलिए अग्रिम ज़मानत का मामला बनता है।

16. इसलिए, अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र को इन निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) अगर इस मामले में शामिल आवेदक-साजिद उर्फ़ सिजुआ को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे सक्षम न्यायालय के सामने 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही रकम की दो ज़मानतें संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार देने पर विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक जांच के दौरान जांच अधिकारी का सहयोग करेगा और जांच के मक़सद से ज़रूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होगा;

(iii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

17. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका दुरुपयोग करने पर, सरकारी अधिवक्ता/जांच अधिकारी/शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय में आवेदक को दी गई अग्रिम ज़मानत निरस्त करने के लिए उचित प्रार्थना-पत्र दायर करने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

11 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला